रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 28, 1942 शक संवत्) [संख्या 37

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	919–926	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	665–668	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	169–174	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	201–274	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	511–522	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

28 अगस्त, 2020 ई0

सं0 564/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 6131/IV-4121/एडमिन0 (ए), दिनांक 30 जुलाई, 2020 के क्रम में श्री देवेन्द्र सिंह फौजदार, सेक्रेटरी (फुल टाइम), डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी, बदायूँ द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से वर्ष 2018 में अर्जित पी0एच0डी0 डिग्री/उपाधि को उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने एवं उनके नाम के पहले डा0 लिखे जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

सं0 563/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	उप निबन्धक (एम0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	श्री संजय चौधरी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज (एफ0टी0सी0), सिद्धार्थनगर	सं0 6151/IV-3379/एडमिन(ए), दिनांक 30-07-2020	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	एल0एल0एम0	2007
2	श्री जसवीर सिंह यादव, एडिशनल सिविल जज (सी0डि0), बरेली	सं0 6153/IV-4138/एडमिन(ए), दिनांक 30-07-2020	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2015
3	श्री आशीष कम्बोज, एडिशनल सिविल जज (जू0डि0), कानपुर नगर	सं0 6158/IV-4640/एडमिन(ए), दिनांक 30-07-2020	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2018

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
संयुक्त सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

27 जुलाई, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-664/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री पीयूष कान्त श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, मेरठ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-1/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती प्रेरणा श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-2/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सूरजपाल, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-ए, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-3/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री मनोज कुमार शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-8, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-4/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अनिल दीक्षित, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-5/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विकास कृष्ण बंसल, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर (सर्वो0न्या0का0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-6/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती सीमा रानी, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, संत रविदास नगर (भदोही) के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-7/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री रवीन्द्र सिंह खरौला, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-बी, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-8/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री पुष्पेश सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-18, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-9/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री धर्मेन्द्र चौधरी, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-12, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-10/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री प्रकाश चन्द्र चौरसिया, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-11/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सुनील कुमार गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-8, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-12/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री संजय कुमार आर्य, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-बी, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-13/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विजय पाल सिंह-III, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, ज्योतिबा फुलेनगर, अमरोहा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-14/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सुरेश सिंह गर्ब्याल, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (टैक्स आडिट), मेरठ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-15/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री कमलेश कुमार पाण्डेय, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, जौनपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-16/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अखिलेश कुमार मिश्र, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-ए, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-17/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अजीत प्रताप सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-ए, आगरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-18/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राकेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-01, हरदोई के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-19/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-20/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-14, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-21/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सुदेश कुमार राय, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, देवरिया के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-22/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री रामेन्द्र रत्नाकर सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-22, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-23/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री संजय कुमार सिंह-VII, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0), बिजनौर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-24/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री दिव्येन्द्र शेखर गौतम, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-25/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती ज्योत्सना सिंह कुशवाहा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-26/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती शैवालिनी सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-27/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-28/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री श्यामाकान्त यादव, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, गाजीपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-29/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री प्रताप सिंह यादव, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, सीतापुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-30/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती साधना सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-20, वाराणसी के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-31/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती शैफाली दीक्षित, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-01, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-32/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती रश्मि अवस्थी, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0), बांदा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-33/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री कौशल कुमार पाण्डेय, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-5, आगरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-34/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती जया पुरवार, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1, उन्नाव के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-35/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री जय प्रकाश मौर्या, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-ए, वाराणसी के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-36/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री चेतराम वर्मा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-37/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत डा0 देवेन्द्र सिंह-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-12, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-38/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री ऋषिकेश यादव, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, बलरामपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-39/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री घनश्याम गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-40/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3, जालौन (उरई) के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-41/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विजय कुमार शर्मा-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-42/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री वेगराज सिंह-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6, बरेली के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-43/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विजय पाल, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, अम्बेडकरनगर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-44/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री रमेश चन्द्र-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9, वाराणसी के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-45/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सुनील कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर (टैक्स आडिट), वाणिज्य कर, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-46/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री बृजेश, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0)-बी, सहारनपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-47/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजेश कुमार सेठ, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, हसनपुर, ज्योतिबाफुले नगर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-48/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राम नारायण राय, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2, बदायूं के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-49/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री पंकज कुमार-III, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-18, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-50/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अरविन्द कुमार सिंह-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-12, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-664-51/11-2020-125/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्रीमती कमलेश कुमारी-I, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

18 अगस्त, 2020 ई0

सं0 623/22-1-2020-306/98टीसी—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार अधीक्षक कारागार के पद नियुक्ति हेतु संस्तुत की गयी अभ्यर्थी सुश्री कोमल मंगलानी पुत्री श्री ज्ञान मंगलानी, निवासी-33, सूर्य नगर, जिला-आगरा, उ0प्र0, पिनकोड-282002 (अनुक्रमांक-119230) को उत्तर प्रदेश कारागार सेवा में अधीक्षक कारागार समूह 'ख' (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

2—सुश्री कोमल मंगलानी की नियुक्ति इस शर्त के अधीन की जाती है कि उनकी सेवायें, उ0प्र0, जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 1982 एवं यथासंशोधित सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

3—सुश्री कोमल मंगलानी को महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुये तैनात किया जाता है तथा उन्हें एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह कारागार सेवा में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों, तो इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान पर उपस्थित हों।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सुश्री कोमल मंगलानी निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो यह मानते हुये कि वह नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—सुश्री कोमल मंगलानी उ0प्र0 जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 1982, यथासंशोधित सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अधीक्षक, कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

5—सुश्री कोमल मंगलानी की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

6—यदि कोई याचिका विचाराधीन है, तो प्रश्नगत नियुक्ति उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

निधन

11 जुलाई, 2020 ई0

सं0 671/छः पु0से0-1-2020-पीएफ-100/2019—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो-अ-49(01) 2020, दिनांक 30 जून, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत श्री जनार्दन प्रसाद दुबे, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बस्ती (जन्मतिथि 01-07-1963) का असामयिक निधन दिनांक 26 जून, 2020 को अपरान्ह 12.30 बजे हो गया है।

14 जुलाई, 2020 ई0

सं0 688/छः पु0से0-1-2020-पीएफ-100/2019—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो-अ-49(02) 2020, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में सूचित किया जाता है कि दिनांक 02/03 जुलाई, 2020 की रात्रि में ग्राम-बिकरु, थाना-चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर में दबिश के दौरान नामित अभियुक्तों/बदमाशों एवं पुलिस के मध्य हुई मुठभेड़ में गोली लगने से उ0प्र0 प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत श्री देवेन्द्र मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर (जन्मतिथि 25-03-1961) का असामयिक निधन हो गया है।

16 जुलाई, 2020 ई0

सं0 731/छः पु0से0-1-2020-पीएफ-100/2019—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो-अ-49(03) 2020, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत श्री नागेश कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरियावां, जनपद हरदोई (जन्मतिथि 25-07-1962) का दिनांक 12 जुलाई, 2020 को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में स्थित राजधानी कोरोना हास्पिटल में चिकित्सा के दौरान असामयिक निधन हो गया।

आज्ञा से,
महेन्द्र प्रसाद भारती,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग-2

पदोन्नति

24 अगस्त, 2020 ई0

सं0 426डीजी/छः पु0से0-2-2020-522(105)/2019—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु0 2,05,400-2,24,400 में पदोन्नत किये जाने सम्बन्धी कार्यालय

विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या 05/छः पु0से0-2-19-522(105)/2019, दिनांक 01 जनवरी, 2020 एवं आदेश संख्या 57डीजी/छः पु0से0-2-20-522(105)/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राज्यपाल निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0	अधिकारी का नाम/बैच	पदोन्नति की तिथि
1	श्री कमल सक्सेना, आरआर-1988	01-02-2020
2	श्री विजय कुमार, आरआर-1988	01-02-2020
3	श्री बृजराज, आरआर-1988	01-03-2020
4	श्री चन्द्र प्रकाश-I, आरआर-1989	01-04-2020
5	श्री पी0वी0 रामाशास्त्री, आरआर-1989	01-09-2020

2—कार्यालय विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या 05/छः पु0से0-2-19-522(105)/2019, दिनांक 01 जनवरी, 2020 एवं आदेश संख्या 57/छः पु0से0-2-20-522(105)/2019, दिनांक 31 जनवरी, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग-8

पदोन्नति

23 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1591/छः-पु0-8-2020-42/2001टीसी0—अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा उपयुक्त पाये गये निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित नये वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल-10 (पुराना वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400) में पदोन्नत कर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्रमांक	अधिकारी का नाम
	सर्वश्री—
1	यदुनाथ सिंह
2	विजय प्रकाश त्रिपाठी
3	मतलूब हुसैन
4	अखिलेश प्रताप सिंह
5	उमेश गौतम

2—उक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3—उक्त पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के तैनाती सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—25 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 28, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

05 अगस्त, 2020 ई0

सं0 6098/सात-भू0सु0-2020–शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/79रा0-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, मैं कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 7/8 में उल्लिखित गाटा संख्या मि0-141 रकबा 0.101 हे0 व गाटा संख्या मि0-142 रकबा 0.101 हे0 कुल 02 गाटा रकबा 0.202 हे0 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर) के निर्माण हेतु विभाग को हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	शिवपुर	उदयपुर	मि0 141, मि0 142 बंजर भूमि	हे0 0.202	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर के निर्माण हेतु)

सं0 6099/सात-भू0सु0-2020—शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/79रा0-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 7/8 में उल्लिखित गाटा संख्या मि0 821 रकबा 1.620 हे0 (बंजर श्रेणी 5-3-ड़) को राजकीय पालीटेक्निक कालेज के निर्माण हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
						हे0	
1	वाराणसी	राजा तालाब	देहात अमानत	करसड़ा	821 मि0 बंजर भूमि (श्रेणी 5-3-ड़)	1.620	प्राविधिक शिक्षा विभाग (राजकीय पालीटेक्निक कालेज के निर्माण हेतु)

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञा

21 अगस्त, 2020 ई0

सं0 950(iv)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)/1979-रा0-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम गोधा में थाना गोधा के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु गृह विभाग (उ0प्र0) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। यह भूमि गृह विभाग, (उ0प्र0) के निवर्तन पर रहेगी। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हे0		
1	अलीगढ़	कोल	मोरथल	गोधा	401	0.450	6-4 ऊसर	थाना गोधा के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु। गृह विभाग (उ0प्र0) के निवर्तन पर।
					828	0.150		
						0.600		

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

24 अगस्त, 2020 ई0

सं0 6124 / सात-भू0सु0-2020—शासनादेश संख्या 68 / 3-2(6) / 79रा0-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश 744 / एक-1-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745 / एक-1-2016(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
						हे0	
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	बसनी	1017 / 1707 श्रेणी 5-1 नई परती	0.2510	33 / 11 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र के निर्माण हेतु (विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत उक्त गांव सभा की भूमि को विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 64-चन्द्रिका नगर कालोनी, सिगरा, वाराणसी को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य तथा

मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराये पर 30 वर्ष के लिये पुनर्ग्रहण के माध्यम से पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 6125/सात-भू0सु0-2020–शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/79रा0-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
						हे0	
1	वाराणसी	पिण्डरा	अठगांवा	धनसरी	10 श्रेणी 5-1 नई परती	15 X 20 वर्गमीटर अर्थात् 300 वर्गमीटर	कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के निर्माण हेतु (विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड)।

उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत उक्त गांव सभा की भूमि को कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 64-चन्द्रिका नगर कालोनी, सिगरा, वाराणसी को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य तथा मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराये पर 30 वर्ष के लिये पुनर्ग्रहण के माध्यम से पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 28, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

13 जुलाई, 2020 ई0

सं0 66/एल0बी0ए0 (उपविधि)/2020–शासन के पंचायती राज अनुभाग-2, के शासनादेश संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के क्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेन्स फीस की दरों में एक एकरूपता लाये जाने के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत, बहराइच द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मिल/कारखाना/फैक्ट्री के लाइसेन्स की बनायी गयी संशोधित दरों की उपविधि–

उपविधि

1–यह उपविधियां फैक्ट्री संचालन एवं नियन्त्रण उपविधियां कहलायेगी।

स्पष्टीकरण–उन उपविधियों में फैक्ट्री का तात्पर्य उन समस्त प्रकार की फैक्ट्री से जिनका वर्गीकरण प्रस्तावित उपविधि की धारा 8 में दिया गया है।

2–यह उपविधि जिला पंचायत बहराइच के समस्त ग्रामीण अंचल की वर्तमान और भविष्य में लगने वाली फैक्ट्रियों को नियन्त्रित करेगी।

3–आयुक्त, देवी पाटन मण्डल गोण्डा द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें–

1–ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की (यथा संशोधित अधिनियम, 1994)

2–फैक्ट्री का अर्थ ऐसे भवन और उसकी सीमाओं तक भूमि से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन क्रिया सम्बन्धी रीति में शक्ति का उपयोग किया जाता है।

3–शक्ति का अर्थ 1948 की फैक्ट्री अधिनियम, 63 की धारा 2 जे की परिभाषा के अनुसार है।

4–कोई भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान का मालिक अथवा साझेदार फैक्ट्री तब तक नहीं चला सकेगा जब तक उसने निर्धारित शुल्क जिला पंचायत में जमा करके लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो।

5–किसी फैक्ट्री के मालिक को इस आधार पर कि उसने अन्य किसी निकाय अथवा संस्था अथवा सरकारी विभाग से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है तो जिला पंचायत से लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है की छूट नहीं प्रदान की जायेगी। यदि फैक्ट्री ग्रामीण क्षोत्र के अन्तर्गत है तो उसे प्रत्येक दशा में जिला पंचायत से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है।

6–इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स पाने वाले व्यक्ति व पड़ोस के निवासियों की स्वस्थ्य सुरक्षा आदि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा–

(क) चिमनी की ऊँचाई पड़ोस की सबसे ऊँची इमारत से पांच मीटर से कम ऊँचाई न होना चाहिए।

(ख) साधारण शोरगुल रोकने के लिए फैक्ट्री के हाते में शोरगुल रोकने वाले यन्त्र (साइलेंसर) की जहां आवश्यक हो लगाया जाना चाहिए।

(ग) फैक्ट्री में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम करने की आज्ञा न दी जायेगी।

(घ) फर्श की नाालियां व शीरा भरने के तालाब को पक्का होना चाहिए तथा उनकी ठीक-ठाक मरम्मत होती रहे। प्रयोग किये हुए पानी को बाहर निकालने के लिए ऐसी नालियां बनायी जाय जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षित हो।

(ङ) लाइसेन्स अधिकारियों के सन्तोषानुसार फैक्ट्री का अर्हता सभी समय स्वच्छ स्वस्थ्यप्रद और ठीक अवस्था में रखा जाना चाहिए।

(च) ऐसे व्यक्ति को फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी छूत संक्रामक रोग अथवा घृणास्पद रोग से ग्रसित हो।

(छ) शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा या स्वच्छता की दृष्टि से अपनायी गयी नीतियों से सम्बन्धी शासनादेश स्वतः लागू समझे जायेगे।

4–मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होगा।

5–उपविधि में वर्णित दण्ड के अतिरिक्त किसी भी धारा के बार-बार उल्लघंन करने पर लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स रद्द अथवा निलम्बित करने का अधिकार होगा।

6–लाइसेन्सिंग अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के दिनांक के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत के यहां अपील कर सकेगा। और अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा। और उक्त दोनों पक्षो पर बन्धनकारी होगा तथा लाइसेन्स स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

7–लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि 01 अप्रैल (एक अप्रैल) से प्रारम्भ होगी। तथा 31 मार्च (इक्तीस मार्च) को समाप्त होगी।

8–प्रत्येक फैक्ट्री के प्रोपराइटर/मालिक को वाजिब है वह निम्नांकित दर से वर्णित फैक्ट्रियों पर लाइसेन्स शुल्क का भुगतान कर तभी वह जिला पंचायत से लाइसेन्स पाने का हकदार होगा।

क्र0 सं0	विवरण फैक्ट्री	लाइसेन्स शुल्क
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाइड्रोलिक सल्फीटेंशन	4,000.00

1	2	3
		रु0
3	क्रेशर नान हाइड्रोलिक सल्फीटेंशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाइड्रोलिक नान सल्फीटेंशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हरित चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक-स्पेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	8,000.00
28	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो इंच मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो इंच मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यन्त्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
33	हाटमिक्स प्लान्ट	10,000.00
34	रबड़ की वस्तुए बनाने का कारखाना	2,000.00
35	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00

1	2	3
		रु0
37	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
38	पीतल एल्यूमिनियम स्टील शीशा तांबा व टीन आदि स वस्तुए बनाना	4,000.00
39	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
40	शराब स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
41	कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	4,000.00
42	फर्टिलाइजर या कीटनाशक बनाने का कारखाना	10,000.00
43	खाण्डशारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	5,000.00
44	प्लास्टिक का दाना फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
45	प्लास्टिक का पाइप टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
46	बिजली का सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
47	कम्बल कपड़ा आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
48	कम्बल कपड़ा आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
49	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
50	फ्लोर मिल	10,000.00
51	दाल मिल	5,000.00
52	रिईनफोर्ड, सीमेन्ट, कंकरीट आदि के हयूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
53	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
54	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
55	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
56	मोमबती बनाने का कारखाना	3,000.00
57	विनियर एण्ड सॉ मिल	7,000.00
58	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
59	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
60	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
61	प्लाईयुड का माईका बनाने का कारखाना	10,000.00
62	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
63	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
64	लेमिनेशन का कारखाना	5,000.00
65	दूध पैकेजिंग का कारखाना	6,000.00
66	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
67	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
68	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	वेल्डिंग रॉडस बनाने का कारखाना	6,000.00
71	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
73	स्टील आलमारी बक्से आदि बनाने का कारखाना	6,000.00

1	2	3
		रु0
74	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
75	धागा बनाने का कारखाना	4,000'00
76	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
77	दरी कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
78	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
79	डिटजेन्ट बनाने का कारखाना	7,000.00
80	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
81	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
82	रबड़ के टायर-ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
83	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
84	त्रिपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
85	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
86	ग्रीस मोबिल आयल काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
87	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
88	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
89	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
90	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
91	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
92	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
93	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
94	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
95	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
96	गम टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
97	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
98	निकिल पालिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
99	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
100	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
101	हड्डी मिल	25,000.00
102	सरेश मिल	5,000.00
103	पेट्रोल मिल	4,000.00
104	डीजल मिल	5,000.00
105	गैस बाटलिंग प्लांट	25,000.00
106	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
107	प्रिंटिंग प्रेस या ऑफसेट प्रेस	2,500.00
108	सिनेमा हाल	4,000.00
109	विडियो सिनेमा हाल	2,500.00
110	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
111	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00

1	2	3
		रु0
112	रेडीमेड गारमेन्ट्स का कारखाना	15,000.00
113	फॉम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
114	स्लाटर हाउस इण्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	1,00,000.00
115	ट्रान्सफारमर फैक्ट्री	20,000.00
116	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
117	एयर कन्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
118	जूट, सन व नालायन बनाने का कारखाना	5,000.00
119	सीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
120	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00
121	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
122	जैविक कारखाना	5,000.00
123	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
125	स्टोन क्रेसर	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेन्स फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
		रु0
1	सूक्षम/कुटीर उद्योग (माइक्रो) (लागत 25 लाख)	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (स्माल) (लागत 25 लाख से पांच करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (मीडियम) (लागत 5 करोड से 10 करोड़ तक़)	21,000.00 से 50,000.00 तक
4	भारी उद्याोग (हैवी) (10 करोड़ अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

9–केन्द्र अथवा राज्य सरकार या कोई अन्य कोई विधि विहित संस्था की धारा-8 में उल्लिखित फैक्ट्रियों के नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स यदि कोई हो से भिन्न यह लाइसेन्स होगा।

10–इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाइसेन्स का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक आगामी वर्ष के लिए कराना आवश्यक होगा। जिसमें उपविधि की धारा-8 की तालिका में वर्णित दरें ही प्रभावी होगी। 30 अप्रैल के पश्चात् रु0 300.00 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा तभी नवीनीकरण किया जा सकेगा। विलम्ब की अवधि मई से प्रारम्भ होगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा-240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बहराइच निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, तो अंकन रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड किया जा सकता है।

महेन्द्र कुमार,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 28, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/59/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 59-गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019, दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 59-गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 59-गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राधेश्याम उर्फ पप्पू राजभर अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम को दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /59/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राधेश्याम को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राधेश्याम के पिता श्री सीताराम को दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा ने दिनांक 16 जनवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राधेश्याम द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राधेश्याम को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-लो0स0 /59/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019, दिनांक 7 फरवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा के माध्यम से उनके पिता को दिनांक 15 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा से प्राप्त दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राधेश्याम द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राधेश्याम विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषण करता है कि श्री राधेश्याम उर्फ पप्पू राजभर, निवासी ग्राम सरायखत्री, पोस्ट दुर्जनपुर पचूमी, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 59-गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 7th *July*, 2020 / *Ashadha* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-HP/59/2019–WHEREAS, the General Election for 59- Gonda Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 59-Gonda Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 26th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Gonda District, Uttar Pradesh, Shri Radheshyam *alias* Pappu Rajbhar, a contesting candidate of Suheldev Bhartiya Samaj Party from 59-Gonda Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No.76/UP-HP/59/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 27th November, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Radheshyam, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Radheshyam was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Gonda within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Gonda, the said notice was served to Shri Sitaram F/o Shri Radheshyam on 19th December, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Gonda, has submitted in his supplementary report, dated 16th January, 2020 that Shri Radheshyam has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-HP/59/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 07 th February, 2020, which was served to his father on 15 th March, 2020 through the District Election Officer, Gonda; and

WHEREAS, as per the report, dated 29 th April, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Radheshyam has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of Facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Radheshyam has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*c*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*d*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Radheshyam alias Pappu Rajbhar, Resident of Village Saraikhatri, Post Office Durjanpur Pachumi, District Gonda, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 59-Gonda Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/28/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019, दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी बन्दना गुप्ता अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत बन्दना गुप्ता को दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /28/ भा0नि0आ0 /टेर0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय का रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं खोला गया है।

(3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा बन्दना गुप्ता को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस बन्दना गुप्ता को दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचनन अधिकारी, खीरी ने दिनांक 17 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि बन्दना गुप्ता द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचनन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी बन्दना गुप्ता को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-लो0स0 /28/ भा0नि0आ0 /टेर0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019, दिनांक 18 फरवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 24 जून, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बन्दना गुप्ता द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि बन्दना गुप्ता विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शसकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषण करता है कि बन्दना गुप्ता, निवासी मो0 अहिरान-प्रथम, पलिया कलां, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी थीं, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020

Ashadha 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-HP/28/2019–WHEREAS, the General Election for 28- Kheri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 28- Kheri Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22 nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 26th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Kheri District, Uttar Pradesh, Bandana Gupta, a contesting candidate of Bhartiya Shakti Chetna Party from 28-Kheri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/28/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 27th November, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Bandana Gupta, for submission of accounts of her election expenses with the following defects :–

(*i*) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(i) No separate bank account has been opened for election.

(ii) All Expenditure (except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Bandana Gupta, was directed to submit her representation in writing to the

Commission explaining the reason for the above said shortcomings in her accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Kheri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Kheri, the said notice was served to Bandana Gupta, on 20th December, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri, has submitted in his supplementary report, dated 17th February, 2020 that Bandana Gupta, has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-HP/28/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 18th February, 2020, which was served to her on 28th February, 2020 through the District Election Officer, Kheri; and

WHEREAS, as per the report, dated 24th June, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Bandana Gupta, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from her. Further, no representation from Bandana Gupta, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of Facts and available records, the Commission is satisfied that Bandana Gupta, has failed to lodge her acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Bandana Gupta, Resident of Mo. Ahiran-1, Palia Kalan, District Kheri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 28-Kheri Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0

नई दिल्ली, तारीख :

18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/06/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय समानता दल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री तेज सिंह सैनी अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री तेज सिंह सैनी को दिनांक 01 अक्टबर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /06/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः

(1) बैंक स्टेटमेंट, सार विवरण अनुसूचियां, वौचेर्स जमा नहीं कराये गये हैं। दिन-प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर में निरीक्षण के उपरान्त धनराशि परिवर्तित की गयी है।

(2) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री तेज सिंह सैनी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री तेज सिंह सैनी को दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद ने दिनांक 25 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री तेज सिंह सैनी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री तेज सिंह सैनी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0- लो0स0 /06/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उनके पत्र, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019, जो आयोग में दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ, के साथ श्री तेज सिंह सैनी से प्राप्त अभ्यावेदन, दिनांक 27-11-2019 की प्रति आयोग में प्रेषित की गयी ; और

यतः, आयोग के पत्र, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी के उक्त संदर्भित अभ्यावेदन पर अपना मंतव्य आयोग में भेजने को कहा गया ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद से प्राप्त पत्र, दिनांक 20 जनवरी, 2020 के अनुसार अभ्यर्थी श्री तेज सिंह सैनी द्वारा उनके लेखे में कोई सुधार नहीं किया गया है केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री तेज सिंह सैनी विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री तेज सिंह सैनी, निवासी ग्राम मिश्रीपुर (मढैया) थाना, तहसील व डाकखाना काँठ, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020

Ashadha 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-HP/06/2019–WHEREAS, the General Election for 06-Moradabad Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 06-Moradabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22 nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Moradabad District, Uttar Pradesh, Shri Tej Singh Saini, a contesting candidate of Rashtriya Smanta Dal from o6-Moradabad Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/06/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 01 st October, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Tej Singh Saini, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Bank Statement, Abstract Statement, Schedules, Vouchers not submitted. Entry in the day-to-day register was changed after inspection.

(ii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iii) All Expenditure (except petty expenditure) were not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Tej Singh Saini, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Moradabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Moradabad, the said notice was served to Shri Tej Singh Saini, on 21st October, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Moradabad, has submitted in his supplementary report, dated 25th November, 2019 that Shri Tej Singh Saini, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-HP/06/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 04th Deccember, 2019, which was served to him on 09th December, 2019 through the District Election Officer, Moradabad; and

WHEREAS, District Election Officer, Moradabad, forwarded a copy of the representation, dated 27-11-2019 received from Shri Tej Singh Saini, *vide* his letter, dated 03-12-2019, which was received in the Commission on 06-12-2019 ; and

WHEREAS, The Commission *vide* letter, dated 20-12-2019 sought comments of District Election Officer on the above mentioned representation of the candidate ; and

WHEREAS, as per the District Election Officer's letter, dated 20th January, 2020 Shri Tej Singh Saini, did not rectify the defects in his accounts and only above mentioned representation was submitted by him ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Tej Singh Saini, has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Tej Singh Saini, Resident of Villag-Mishripur (Madhaiya), Police Station, Tehsil and Post Office Kanth, Moradabad, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 06-Moradabad Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/109/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 109-किशनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 109-किशनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 109-किशनी (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नेत्रपाल अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री नेत्रपाल को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /109/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री नेत्रपाल को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री नेत्रपाल की पत्नी श्रीमती मीना देवी को दिनांक 17 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नेत्रपाल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नेत्रपाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /109/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से अभ्यर्थी उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नेत्रपाल द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्तए उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नेत्रपाल विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री नेत्रपाल, निवासी ग्राम छबीलेपुर, पोस्ट-नबीगंज, तहसील-भोगाँव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 109-किशनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020 / *Ashadha* 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/109/2017–WHEREAS, the General Election for 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04 th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 109-Kishni(SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13 th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Netrapal, a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/109/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07 th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Netrapal, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been duly submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iv) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Netrapal, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Smt. Meena Devi W/o Shri Netrapal on 17th May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri, has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Shri Netrapal, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/109/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Netrapal has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Netrapal has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Netrapal, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Natrapal, resident of Village Chhabeelepur, Post-Naviganj, Tehsil-Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/108/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की ओर से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /108/ भा0नि0आ0 /टेर0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस श्री सुरेन्द्र सिंह को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 18 मार्च, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 13 मई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कोसा, पोस्ट गढीया छिनकौरा बेवर, तहसील भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020 / *Ashadha* 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/108/2017–WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Surendra Singh, a contesting candidate from Bahhujan Samaj Party from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Surendra Singh, for non submission of any accounts of his election expenses ; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Surendra Singh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts of and also to lodge the accounts of election expenses with the District Election Officer, Mainnpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Shri Surendra Singh, on 18th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

Any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Surendra Singh, has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Surendra Singh, Resident of Village-Kosa, Post-Gadiya Chinkaura Bewar, Tehsil-Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/108/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार, को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /108/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सुनील कुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुनील कुमार को दिनांक 22 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुनील कुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0- वि0स0 /108/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से अभ्यर्थी उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुनील कुमार द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुनील कुमार विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री सुनील कुमार, निवासी माझगाँव, पोस्ट-अधार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020 / *Ashadha* 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/108/2017–WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Sunil Kumar, a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Sunil Kumar, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been duly submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iv) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Sunil Kumar, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Shri Sunil Kumar on 22nd May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri, has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Shri Sunil Kumar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/108/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Sunil Kumar has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Sunil Kumar has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Sunil Kumar, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Sunil Kumar, Resident of Manjhgaon, Post-Agahar, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/107/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामनरेश, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री रामनरेश, को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /107/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री रामनरेश को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रामनरेश को दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री रामनरेश द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री रामनरेश को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /107/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से अभ्यर्थी उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामनरेश द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामनरेश विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री रामनरेश, निवासी ग्राम नगला, शीशम हिमायुपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020 / *Ashadha* 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/107/2017–WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Ramnaresh, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ramnaresh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Ramnaresh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainnpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Shri Ramnaresh, on 22nd January, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri, has submitted in his supplementary report, dated 22 nd November, 2019 that Shri Ramnaresh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Ramnaresh has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Ramnaresh, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Ramnaresh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ramnaresh, Resident of Village-Nagla Sheesham Himaupur, District Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/107/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेश, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री सुरेश, को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /107/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री सुरेश को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुरेश के पुत्र श्री रोनक गुप्ता को दिनांक 23 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुरेश द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुरेश को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /107/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 02 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेश द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेश विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री सुरेश, निवासी मुहल्ला 423 सोतियाना, पोस्ट मैनपुरी, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020 / *Ashadha* 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-LA/107/2017–WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Suresh, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Suresh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been submitted.

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Suresh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and

also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Shri Ronak Gupta s/o Shri Suresh on 23rd May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri, has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Shri Suresh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 2nd March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Suresh has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Suresh has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Suresh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Suresh, resident of Mohalla 423 Sotiyana, Post Mainpuri District Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/78/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 78-हाथरस (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 78-हाथरस (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 78-हाथरस (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नेकसे लाल अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री नेकसे लाल को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /78/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री नेकसे लाल को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री नेकसे लाल को दिनांक 02 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नेकसे लाल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नेकसे लाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /78/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नेकसे लाल द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके

अतिरिक्त उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नेकसे लाल विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री नेकसे लाल, निवासी मांगरू, पोस्ट-हसनपुरवारू, तहसील-सादाबाद, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 78-हाथरस (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *July*, 2020
Ashadha 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/78/2017–WHEREAS, the General Election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contestion candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Nekse Lal, a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/78/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Nekse Lal, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Nekse Lal, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Nekse Lal on 02nd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2019 that Shri Nekse Lal, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/78/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01st October, 2019, which was served to him on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Nekse Lal has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Nekse Lal, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Nekse Lal, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Nekse Lal, resident of Mangru, Post-Hasanpurvaru, Tehsil-Sadabad, District-Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/79/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती कुसुमा, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्रीमती कुसुमा, को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /79/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्रीमती कुसुमा, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्रीमती कुसुमा, के बुआ को दिनांक 02 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती कुसुमा, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती कुसुमा, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /79/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से अभ्यर्थी उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती कुसुमा, द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती कुसुमा, विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्रीमती कुसुमा, निवासी ग्राम नगला सलेम, जलेसर रोड, तहसील सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *July*, 2020

Ashadha 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/79/2017–WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Smt. Kusuma, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly

Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Hathras a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Kusuma, for submission of accounts of her election expenses with the following defects :–

(i) Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(ii) Bank Statement not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Smt. Kusuma, was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in her accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Smt. Kusuma's Aunt on 02nd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2019 that Smt. Kusuma, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in her accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01st October, 2019, which was served to her on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Smt. Kusuma has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from her. Further, no representation from Smt. Kusuma has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Kusuma has failed to lodge her accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Kusuma Resident of Village-Nagla Salem, Jalesar Road, Tehsil-Sadabad, Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/107/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री महाराज सिंह, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री महाराज सिंह, को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /107/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री महाराज सिंह, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री महाराज सिंह, को दिनांक 27 जनवरी, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री महाराज सिंह, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री महाराज सिंह, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0- वि0स0 /107/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से अभ्यर्थी उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महाराज सिंह द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री महाराज सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री महाराज सिंह, निवासी म0नं0 38 दिवरई कुरावली, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020 / *Ashadha* 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/107/2017–WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11 th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Maharaj Singh, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Maharaj Singh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted ; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Maharaj Singh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Shri Maharaj Singh, on 27th January, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri, has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Shri Maharaj Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Maharaj Singh, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Maharaj Singh, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Maharaj Singh, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Maharaj Singh, Resident of H.No. 38 Divrai Kurawli, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0

नई दिल्ली, तारीख :

16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/339/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 339-रामपुर कारखाना, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 339-रामपुर कारखाना, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 339-रामपुर कारखाना, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री आनंद प्रकाश शाही, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री आनंद प्रकाश शाही, को दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /339/ भा0नि0आ0 /टेर0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री आनंद प्रकाश शाही, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस दिनांक 19 मार्च, 2020 को श्री आनंद प्रकाश शाही की पत्नी श्रीमती प्रीती शाही को अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया ने दिनांक 24 जून, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री आनंद प्रकाश शाही, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आनंद प्रकाश शाही, अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री आनंद प्रकाश शाही, निवासी 277 बशारतपुर, आरोग्य मंदिर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 339-रामपुर कारखाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *July*, 2020

Ashadha 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/339/2017–WHEREAS, the General Election for 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Deoria District, Uttar Pradesh, Shri Anand Prakash Shahi, a contesting candidate of Sarv Sambhav Party

from 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/339/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 27th September, 2017 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Anand Prakash Shahi, for non-submission of any accounts of his election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Anand Prakash Shahi, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Deoria within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Deoria, the said notice was served to Smt. Preeti Shahi w/o Shri Anand Prakash Shahi on 19th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Deoria, has submitted in his supplementary report, dated 24th June, 2020 that Shri Anand Prakash Shahi, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for his failure to lodge the accounts as prcscribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Anand Prakash Shahi, has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Anand Prakash Shahi, Resident of 277 Basharatpur, Arogya Temple, Gorakhpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0

नई दिल्ली, तारीख :

16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/131/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/नो0प्रे0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 131-कटरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता देवी अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रही है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता देवी को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0/131/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) व्यय लेखे में भाग संख्या-I, II व III एवं अनुसूचियां 1 से 9 नहीं भरी गयी है।

(3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्रीमती सुनीता देवी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्रीमती सुनीता देवी को दिनांक 19 फरवरी, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर ने दिनांक 11 जुलाई, 2018 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती सुनीता देवी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता देवी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0- वि0स0 /131/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 9 जनवरी, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त दिनांक 17 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सुनीता देवी द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती सुनीता देवी विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शसकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्रीमती सुनीता देवी, निवासी ग्राम अकबरपुर, पोस्ट अकवरिया, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी थीं, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 7th *July*, 2020

Ashadha 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/131/2017–WHEREAS, the General Election for 131- Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04 th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 131-Katra Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11 th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 15th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Shahjahanpur District, Uttar Pradesh, Smt. Suneeta Devi, a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/131/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07 th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Suneeta Devi, for submission of accounts of her election expenses with the following defects :–

(ii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iii) Part numbers I, II & III and Schedules 1 to 4 have not been filled in the expenditure account.

(iv) All Expenditure (except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Smt. Suneeta Devi, was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in her accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Shahjahanpur, within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Shahjahanpur, the said notice was served to Smt. Suneeta Devi, on 17th February, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Shahjahanpur, has submitted in his supplementary report, dated 11 th July, 2018 that Smt. Suneeta Devi, has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in her accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/131/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 09thJanuary, 2019, which was served to her on 26th December, 2019 through the District Election Officer, Shahjahanpur; and

WHEREAS, as per the report, dated 17th February, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Smt. Suneeta Devi, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from her. Further, no representation from Smt. Suneeta Devi, has been received in the Sccretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Suneeta Devi, has failed to lodge her acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Suneeta Devi, Resident of Village-Akbarpur, Post-Akbariya, Tahsil-Tilhar, District Shahjahanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख : 07 जुलाई, 2020 ई0 / 16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/131/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/नो0प्रे0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 131-कटरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजकुमार, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री राजकुमार, को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0/131/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राजकुमार, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के

समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राजकुमार, को दिनांक 06 मार्च, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर ने दिनांक 11 जुलाई, 2018 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राजकुमार, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राजकुमार, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /131/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 09 जनवरी, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त दिनांक 17 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजकुमार, द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजकुमार, विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शसकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री राजकुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट उखरी, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होगें।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 7th *July*, 2020 / *Ashadha* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/131/2017–WHEREAS, the General Election for 131- Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 131-Katra Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 15th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Shahjahanpur District, Uttar Pradesh, Shri Raj Kumar, a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/131/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Raj Kumar, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(ii) All Expenditure (except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Raj Kumar, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Shahjahanpur, within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Shahjahanpur, the said notice was served to Shri Raj Kumar, on 06th March, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Shahjahanpur, has submitted in his supplementary report, dated 11th July, 2018 that Shri Raj Kumar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/131/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 09 thJanuary, 2019, which was served to him on 26th December, 2019 through the District Election Officer, Shahjahanpur; and

WHEREAS, as per the report, dated 17th February, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Raj Kumar, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Raj Kumar, has been received in the Sccretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Raj Kumar, has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Raj Kumar, Resident of Village & Post Office Ukhari, Tahsil-Tilhar, District Shahjahanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/79/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कैलाश सिंह, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री कैलाश सिंह को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /79/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) शपथ-पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री कैलाश सिंह, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री कैलाश सिंह को दिनांक 02 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री कैलाश सिंह, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री कैलाश सिंह, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /79/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कैलाश सिंह, द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कैलाश सिंह, विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री कैलाश सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट मढाभोज, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की

तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *July*, 2020 / *Ashadha* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-LA/79/2017–WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Kailash Singh, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Kailash Singh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

 (1) Duly sworn in afffidavit has not been submitted.

(2) Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Kailash Singh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Kailash Singh, on 02nd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2019 that Shri Kailash Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01st October, 2019, which was served to him on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Kailash Singh, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Kailash Singh, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Kailash Singh, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Kailash Singh, Resident of Village and Post-Madhabhoj, Sadabad, Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/143/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 143-कास्ता (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 143-कास्ता (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 143-कास्ता (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रमेश चन्द्र अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र को दिनांक 02 जुलाई, 2018 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /143/ भा0नि0आ0 /टेर0/पत्र/ उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02 जुलाई, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री रमेश चन्द्र को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रमेश चन्द्र को दिनांक 06 फरवरी, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री रमेश चन्द्र द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रमेश चन्द्र अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री रमेश चन्द्र, निवासी ग्राम-मदारीपुरवा म0 भिरावांग्रन्ट थाना-मैगलगंज, तहसील मितौली, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 143-कास्ता (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *July*, 2020 / *Ashadha* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/143/2017–WHEREAS, the General Election for 143-Kasta (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04 th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 143-Kasta (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11 th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Kheri District, Uttar Pradesh, Shri Ramesh Chandra, a contesting candidate from 143-Kasta (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/143/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 02 nd July, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ramesh Chandra, for non submission of any accounts of his election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Ramesh Chandra, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts, of election expenses with the District Election Officer, Kheri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Kheri, the said notice was served to Shri Ramesh Chandra, on 06 th February, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri, has submitted in his supplementary report, dated 28 th February, 2020 that Shri Ramesh Chandra, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Ramesh Chandra, has failed to lodge his acccounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ramesh Chandra, Resident of Village-Madari Purwa (Bhirawan Grant), Post-Shivpuri, P.S.-Maigalganj, Tehsil-Mitauli, District Kheri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 143-Kasta (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

07 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
16 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/79/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /79/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, के भाई को दिनांक 03 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0- वि0स0 /79/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, निवासी म0नं0 67, ग्राम ऊघई, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 07th *July*, 2020 / *Ashadha* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/79/2017–WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04 th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11 th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10 th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(i) Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(ii) Bank Statement not submitted ; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Prem Chandra Ojha alias Subhash's Brother on 03rd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 07th August, 2019 that Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 01st October, 2019, which was served to him on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Prem Chandra Ojha

alias Subhash, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, has failed to lodge her accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Prem Chandra Ojha *alias* Subhash, Resident of H.No. 67 Village Ughai, Tehsil Sadabad, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

09 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
18 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/109/2017-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 109-किशनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 109-किशनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 109-किशनी (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नाथूराम अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री नाथूराम को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-वि0स0 /109/ भा0नि0आ0 /टेरी0/नोटिस/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टार, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री नाथूराम को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, बताये गये पते पर अभ्यर्थी के उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त नोटिस को दिनांक 07 मई, 2018 को दो गवाहों की उपस्थिति में उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते की दीवार पर चिपकाया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नाथूराम द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नाथूराम को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0 /109/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उनके भाई श्री वीरवाल दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नाथूराम द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नाथूराम विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री नाथूराम निवासी ग्राम कुरसंडा, पोस्ट-शमशेरगंज, तहसील-किशनी, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 109-किशनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 09th *July*, 2020
Ashadha 18,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/109/2017–WHEREAS, the General Election for 109-Kishni(SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 109-Kishni (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Shri Nathooram, a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/109/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 07th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Nathooram, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(v) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(vi) Affidavit has not been duly submitted.

(vii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(viii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Nathooram, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, in absence of candidate at the given address, the notice was pasted on the wall of the address provided by him in the nomination papers, on 7th May, 2018 in the presence of two witnesses; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri, has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Shri Nathooram, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/109/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to his brother Shri Veerval on 28th February, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Nathooram, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Shri Nathooram, has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice ; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Nathooram, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Nathooram, Resident of Village-Kursanda, Post-Shamsherganj, Tehsil-Kishni, District-Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

13 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
22 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/01/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 01-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 01-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 01-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्री मौ0 उवैस, अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रही है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री मौ0 उवैस, को दिनांक 01 अक्टबर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /01/ भा0नि0आ0 /टेर0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टार एवं सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं खोला गया है।

(3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री मौ0 उवैस, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री मौ0 उवैस, को दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर ने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री मौ0 उवैस, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री मौ0 उवैस, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-लो0स0 /1/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 10 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मौ0 उवैस, द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मौ0 उवैस, विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री मौ0 उवैस, निवासी मकान नम्बर 6/2246 मोहल्ला हुसैनाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 1-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 13th *July*, 2020 / *Ashadha* 22,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-HP/1/2019–WHEREAS, the General Election for 01-Saharanpur Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 01-Saharanpur Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22 nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Saharanpur District, Uttar Pradesh, Shri Mohd. Uvais, a contesting candidate of Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) from 01-Saharanpur Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/1/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 01st October, 2019 was issued under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Mohd. Uvais, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(iv) Election expenditure register including day to day accounts register, cash register, bank register and abstract statement were not filed.

(v) No separate bank account has been opened for election.

(vi) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Mohd. Uvais, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Saharanpur within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Saharanpur, the said notice was served to Shri Mohd. Uvais, on 11th October, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Saharanpur has submitted in his supplementary report, dated 26 th November, 2019 that Shri Mohd. Uvais, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-HP/1/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 04th Deccember, 2019, which was served to him on 17th December, 2019 through the District Election Officer, Saharanpur; and

WHEREAS, as per the report dated 10th February, 2020 submitted by District Election Officer, to the Commission, Shri Mohd. Uvais, has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Mohd. Uvais, has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Mohd. Uvais, Resident of H. No. 6/2246, Mohalla,

Husainabad, Saharanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 1-Saharanpur Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख : 13 जुलाई, 2020 ई0 / 22 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/18/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 18-आगरा (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 18-आगरा (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 18-आगरा (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से पीस पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री रामजी लाल विद्यार्थी को दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /18/ भा0नि0आ0 /पत्र/टेर0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः

(1) अभ्यर्थी द्वारा व्यय बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) अभ्यर्थी द्वारा रु0 1,92,367.00 व्यय किया गया, परन्तु नियमानुसार नकद धनराशि बैंक में जमा किये बिना खर्च की गयी है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा चन्दे/दान में ली गई धनराशि से सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई है।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री रामजी लाल विद्यार्थी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और

साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रामजी लाल विद्यार्थी को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, आयोग के उक्त नोटिस के जवाब में श्री रामजी लाल विद्यार्थी से दिनांक 07 नवम्बर, 2019 का एक अभ्यावेदन, आयोग में दिनांक 09 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, आयोग के पत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी के उक्त सन्दर्भित अभ्यावेदन पर अपना मंतव्य आयोग में भेजने को कहा गया ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा से प्राप्त पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 एवं 14 जनवरी, 2020 के अनुसार अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी द्वारा उनके लेखो में कोई सुधार नहीं किया गया, केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0- लो0स0 /18/ भा0नि0आ0 /टेरी0/पत्र/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019, दिनांक 15 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ ; और

यतः, आयोग के उक्त पत्र के जवाब में श्री रामजी लाल विद्यार्थी से दिनांक 13 मार्च, 2020 का एक अभ्यावेदन, आयोग में दिनांक 16 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ ; और

यतः, आयोग के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी के उक्त संदर्भित अभ्यावेदन पर भी अपना मंतव्य आयोग में भेजने को कहा गया ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा उनके पत्र, दिनांक 23 अप्रैल, 2020 में यह पुनः कहा गया कि अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी द्वारा उनके लेखे में कोई सुधार नहीं किया गया है केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामजी लाल विद्यार्थी विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री रामजी लाल विद्यार्थी, निवासी 38/58 अ, ईदगाह कटघर, थाना रकाबगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 18-आगरा (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 13th *July*, 2020 / *Ashadha* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-HP/18/2019–WHEREAS, the General Election for 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Agra District, Uttar Pradesh, Shri Ramji Lal Vidhyarthi, a contesting candidate of Peace Party from 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/18/ECI/2ET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 17th October, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ramji Lal Vidhyarthi, for submission of accounts of his election expenses with the following defects :–

(1) Expenditure bills/vouchers have not been presented by the candidate.

(2) Rs. 1,92,367.00 was spent by the candidate, but as per the rules, the cash amount has been spent without depositing it in the bank.

(3) The receipts related to the funds taken by the candidate/donation have not been submitted.

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Ramji Lal Vidhyarthi, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Agra within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Agra, the said notice was served to Shri Ramji Lal Vidhyarthi, at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, in response to the said nootice, a representation, dated 07th November, 2019 was received from Shri Ramji Lal Vidhyarthi, in the Commission on 09th November, 2019 ; and

WHEREAS, The Commission vide letter, dated 21st November, 2019 sought comments of District Election Officer, on the above mentioned representation of the candidate; and

WHEREAS, as per the District Election Officer's letter, dated 20th December, 2019 and 14th January, 2020 Shri Ramji Lal Vidhyarthi, did not rectify the defects in his accounts and only above mentioned representation was submitted by him; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-HP/18/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 15th January, 2020, which was served to him through the District Election Officer, Agra; and

WHEREAS, in response to the aforesaid letter of the Commission, a representation, dated 13th March, 2020 was received from Shri Ramji Lal Vidhyarthi, in the Commission on 16th March, 2020; and

WHEREAS, The Commission vide letter, dated 19th March, 2020 sought comments of District Election Officer, on the above mentioned representation of the candidate; and

WHEREAS, as per the District Election Officer vide his letter, dated 23rd April, 2020, reiterated that Shri Ramji Lal Vidhyarthi, has not rectified the defects in his accounts and only representation has been submitted by him; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Ramji Lal Vidhyarthi, has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ramji Lal Vidhyarthi, Resident of 38/58 A, Idgah Katghar, Thana Rakabgang, Agra, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

13 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
22 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/17/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जगवीर सिंह अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री जगवीर सिंह को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /17/ भा0नि0आ0 /नोटिस /टेरी/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री जगवीर सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, बताये गये पते पर अभ्यर्थी के उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त नोटिस दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को दो गवाहों की उपस्थिति में उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते की दीवार पर चिपकाया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा ने दिनांक 14 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री जगवीर सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जगवीर सिंह अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री जगवीर सिंह, निवासी शिव कम्पलेक्स औरंगाबाद, मथुरा-281006, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 13th *July*, 2020 / *Ashadha* 22,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-HP/17/2019–WHEREAS, the General Election for 17-Mathura Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10 th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 17-Mathura Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Mathura District, Uttar Pradesh, Shri Jagvir Singh, a contesting candidate of Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) from 17-Mathura Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/17/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Jagvir Singh, for non submission of any accounts of his election expenses ; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Jagvir Singh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts of and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Mathura within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mathura, in absence of candidate at the given address, the notice was pasted on the wall of the address provided by him in the nomination papers, on 24th September, 2019 in the presence of two witnesses; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mathura has submitted in his supplementary report, dated 14th February, 2020 that Shri Jagvir Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Jagvir Singh, has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Jagvir Singh, Resident of Shiv Complex, Aurangabad Mathura-281006, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 17-Mathura Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

13 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
22 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/68/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 68-लालगंज (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 68-लालगंज (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश 68-लालगंज (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लछिमन कन्नौजिया, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री लछिमन कन्नौजिया, को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /68/ भा0नि0आ0 /नोटिस/टेर/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया था ; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री लछिमन कन्नौजिया, को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री लछिमन कन्नौजिया, को दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ ने दिनांक 10 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री लछिमन कन्नौजिया, द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लछिमन कन्नौजिया, अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री लछिमन कन्नौजिया, निवासी ग्राम आयर, पोस्ट-आयर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 68-लालगंज (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 13th *July*, 2020 / *Ashadha* 22,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-HP/68/2019–WHEREAS, the General Election for 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Azamgarh District Uttar Pradesh, Shri Lcchiman Kannooizya, a contesting candidate of Prithviraj Janshakti Party from 68- Lalganj (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/68/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Lcchiman Kannooizya, for non-submission of any accounts of his election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Lcchiman Kannooizya, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Azamgarh within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Azamgarh, the said notice was served to Shri Lcchiman Kannooizya, on 27th December, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh, has submitted in his supplementary report, dated 10 th February, 2020 that Shri Lcchiman Kannooizya, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Lcchiman Kannooizya, has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Lcchiman Kannooizya, Resident of Village-Aayar, Post-Aayar, Thana-Cholapur, District-Varanasi, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

13 जुलाई, 2020 ई0

नई दिल्ली, तारीख :

22 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/69/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनिल सिंह, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री अनिल सिंह, को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /69/ भा0नि0आ0 /नोटिस/टेरी/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री अनिल सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री अनिल सिंह को दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ ने दिनांक 10 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री अनिल सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल सिंह अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री अनिल सिंह, निवासी ग्राम अमारी, पोस्ट-गोपालपुर, तहसील-मेंहनगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 13th *July*, 2020 / *Ashadha* 22,th1942 (*Saka*).

ORDER

No.76/UP-HP/69/2019–WHEREAS, the General Election for 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 69-Azamgarh Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22 nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Azamgarh District Uttar Pradesh, Shri Anil Singh, a contesting candidate of Rashtriya Ulama Council from 69- Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/69/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Anil Singh for non -submission of accounts of his election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Anil Singh, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts, of election expenses with the District Election Officer, Azamgarh within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Azamgarh, the said notice was served to Shri Anil Singh on 17th September, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh, has submitted in his supplementary report, dated 10 th February, 2020 that Shri Anil Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till that date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Anil Singh has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Anil Singh, Resident of Village Amari Post-Gopalpur, Tahsil-Mehnagar, Azamgarh, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

13 जुलाई, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख :
22 आषाढ़, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-लो0स0/3/2019-**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से जनसत्ता पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जयपाल सिंह सैनी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री जयपाल सिंह सैनी को दिनांक 22 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/ उ0प्र0-लो0स0 /3/ भा0नि0आ0 /नोटिस/टेर/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 जारी किया गया थाः

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री जयपाल सिंह सैनी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा

दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री जयपाल सिंह सैनी को दिनांक 03 सितम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 17 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री जयपाल सिंह सैनी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जयपाल सिंह सैनी, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'' ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री जयपाल सिंह सैनी, निवासी ग्राम मनव्वरपुर कलां, जिल-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 03-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 13th *July*, 2020 / *Ashadha* 22,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-HP/3/2019–WHEREAS, the General Election for 3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22 nd June, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Muzaffarnagar District Uttar Pradesh, Shri Jaipal Singh Saini, a contesting candidate of Jansatta Party from

3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/3/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 22rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Jaipal Singh Saini, for non -submission of accounts of his election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Jaipal Singh Saini, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts, of election expenses with the District Election Officer, Muzaffarnagar within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Muzaffarnagar, the said notice was served to Shri Jaipal Singh Saini on 3rd September, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarnagar, has submitted in his supplementary report, dated 17 th February, 2020 that Shri Jaipal Singh Saini, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers *etc*. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Jaipal Singh Saini has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(*a*) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(*b*) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Jaipal Singh Saini, Resident of Village-Manavvarpur Kalan, District Muzaffarnagar, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 3-Muzaffarnagar, Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–25 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–10 निर्वाचन–18-09-2020–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 28, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, जालौन

28 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 471/ठो0अ0प्र0नि0/2019-20–पत्र संख्या 393/स्वा0वि0/ठो0अ0प्र0नि0/2019-20, दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, जालौन अधिनियम, 1916 व ठोस/अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निम्न प्रकार उपविधि बनाने के लिये नियमावली, 2019 प्रस्तावित है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 व ठोस/अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि (नियमावली) का मसौदा तैयार कर जिसे इस पालिका परिषद् की मीटिंग/बोर्ड0/दि0 27 जुलाई, 2019, प्र0सं0 06 के द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है जिसके अनुपालन में सार्वजनिक नोटिस नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 की धारा (3) की उपधारा (3) के अन्तर्गत दैनिक 'आज' कानपुर के अंक दिनांक 03 सितम्बर, 2019 व दैनिक 'कर्मयुग प्रकाश' उरई के अंक दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित समय के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है, यह उपविधि (नियमावली) गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि (नियमावली)

प्राधिकारी का अर्थ–नगरपालिका परिषद्, जालौन के अधिशासी अधिकारी से होगा।

प्राधिकारी संस्था–नगरपालिका परिषद्, जालौन से है।

क्षेत्र–यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, जालौन की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी।

1–समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन पृथक हिस्सों में गीला, सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में एक बार ही नगरपालिका परिषद्, जालौन द्वारा निर्धारित समय पर निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों मार्गों पर पालिका द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट नहीं फैले।

2–कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भंडारित करेगा एवं Construction and Demolation Waste Rule, 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

3–नगर में स्थिति सभी कोआपरेटिव सोसाइटीज, एसोसियेशन आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व में उपयुक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-2 भंडारण हो सके जिसका निस्तारण पालिका परिषद् द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्जेज देकर करायेगा।

4–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नाला या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा में रुपये 5,000.00 का जुर्माना वसूल किया जायेगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूड़ा नहीं डालेगा न डालने देगा। कूड़े के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा जिसके लिए निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6–बूचड़ खानों, मांस-मछली बाजारों, फल सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके, ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबंध कर नियमानुसार नगरपालिका परिषद्, जालौन को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा।

7–अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक, लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा। अस्पतालों, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम, 2016 के निर्देशानुसार जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंध स्वयं सुनिश्चित कराना होगा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंध नगरपालिका परिषद्, जालौन द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देकर सुनिश्चित कराया जायेगा।

8–कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगरपालिका परिषद्, जालौन द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

9–कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक मार्गों व सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा। अनधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10–अपशिष्ट कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों को जलाया नहीं जायेगा।

11–कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगरपालिका परिषद्, जालौन को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजक, आयोजन स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक भण्डारण की व्यवस्था करेगा और पृथक अपशिष्ट को पालिका द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12–मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-घूम कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13–कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, जालौन द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकेगा। निर्धारित कूड़ेदान में निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14–पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नहीं दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15—कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा, न सार्वजनिक मार्गों एवं नालियों में बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16—कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेसी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगरपालिका परिषद्, जालौन को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17—कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लगायेगा।

18—घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती हैं :

क्र0सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) नगरपालिका परिषद्, जालौन
		प्रतिमाह रु0
1	50 वर्गमीटर क्षेत्र तक के मकान	15.00
2	50 वर्गमीटर से अधिक व 300 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के मकान	40.00
3	300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के मकान	50.00
4	व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकान, खान-पान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/कॉफी हाउस) इत्यादि	200.00
5	गेस्ट हाउस	500.00
6	पथ विक्रेता/मार्ग विक्रेता	30.00
7	छात्रावास	400.00
8	होटल रेस्टोरेंट (unstar)	500.00
9	होटल रेस्टोरेंट (3 star) तक	1,000.00
10	होटल रेस्टोरेंट (Unstar) से अधिक	2,000.00
11	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि	500.00
12	क्लीनिक, डिसपेंसरी, लैबोरेटरी (50 बेड तक)	1,500.00
13	क्लीनिक, डिसपेंसरी, लैबोरेटरी (50 बेड से अधिक)	3,000.00
14	लघु व कुटरी उद्योग वर्कशाप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 किग्रा0 प्रतिदिन	500.00
15	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अवशिष्ट)	1,000.00
16	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर तक	2,000.00
17	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल	5,000.00
18	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नहीं है	नगरपालिका परिषद् के आंकलन के अनुसार

नगरपालिका की शक्ति–

1–नगरपालिका परिषद्, जालौन क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना अमिषेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा, करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो नगरपालिका परिषद्, जालौन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी निम्न ''अनुसूची-अ'' में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (कैरिंग चार्जेज) ऐसी दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2–नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जायेगा। लागू कराने में असक्षम/लापरवाही/असमर्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नगरपालिका परिषद्, जालौन अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकारी ''प्राधिकारी'' को होगा।

''अनुसूची-अ''

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिये निर्धारित कैरिंग चार्ज–

क्र0सं0	कृत्य	जुर्माना की दरें
1	2	3
1	रिहायशी भवनों के निवासियों	100.00 रुपये प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	100.00 रुपये प्रतिदिन
3	रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	10,000.00 रुपये प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100.00 रुपये प्रतिदिन
7	सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों पर	200.00 रुपये प्रतिदिन
8	गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण, निर्माण सामग्री ईंट, सीमेंट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1,000.00 रुपये प्रतिदिन
10	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 रुपये प्रतिदिन
11	सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2,000.00 रुपये प्रतिदिन
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	10,000.00 रुपये प्रतिदिन
13	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन

1	2	3
14	अपने मकान, भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	2,000.00 रुपये प्रतिदिन
16	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	1,000.00 रुपये प्रतिदिन
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलवा मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	2,000.00 रुपये प्रतिदिन
18	आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेंड़, ऊंट, गधा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन
19	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर	5,000.00 रुपये प्रतिदिन
20	आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर	2,000.00 रुपये प्रतिदिन
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100.00 रुपये प्रतिदिन
22	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100.00 रुपये प्रतिदिन
23	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर रुपये प्रतिदिन उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा	5,000.00 रुपये प्रतिदिन उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।
24	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 रुपये प्रतिदिन
25	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	2,000.00 रुपये प्रतिदिन

जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, जालौन को निहित होगा तथा वसूली नगरपालिका अधिनियम, 1916 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

गिरीश कुमार गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, जालौन।

कार्यालय, नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर)

09 अगस्त, 2019 ई0

सं0 3573/1, 2 ठेके0रजि0 (उपविधि)/न0पं0 महरौनी (2019-20)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 97 एवं 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय, नगर पंचायत, महरौनी द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य कराने सम्बन्धी ठेकेदारों के पंजीकरण उपविधि बनाती है। इस उपविधि को उक्त ऐक्ट की धारा 301-क (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करती है।

उक्त उपविधि के आलेख के सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो उपविधि के प्रकाशन के एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर नगर पंचायत, महरौनी के कार्यालय में लिखित रूप से सादा कागज/लेटर पैड पर आपत्ति/सुझाव अपने सुस्पष्ट नाम व पता अंकित कर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया गया जायेगा—

उपविधि

1—**संक्षिप्त नाम एवं प्रसार**—यह उपविधि नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर) की सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं आपूर्ति करने हेतु ठेकेदार पंजीकरण उपविधि नगर पंचायत, महरौनी, 2019 कहलायेगी।

2—**परिभाषा**—किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

(क) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी से है।

(ख) ''सीमा'' से तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर) की क्षेत्राधिकार सीमा से है।

(ग) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर) के अध्यक्ष से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर) के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) ''ठेकेदार'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संस्था या संगठन से है जिसे सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं आपूर्ति करने का अनुभव हो तथा जिसके पास जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निर्गत चरित्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र मौजूद हो तथा उसका आयकर, व्यापार कर, श्रम विभाग, ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0 में पंजीयन हो।

3—नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर) के सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके केवल उन ठेकेदारों को दिये जायेंगे जो नगर पंचायत, महरौनी (ललितपुर) तथा शासनादेश संख्या 3/2017/1067/78-2017-42 आई0टी0/2017 अनुभाग-2, दिनांक 12 मई, 2017 के क्रम में यू0पी0 इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड में रजिस्टर्ड होंगे।

4—ठेकेदारों के पंजीकरण के लिये नगर पंचायत, महरौनी में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण निम्नवत् होगा—

(1) विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिये निर्धारित निविदा सीमा :

क्र0सं0	कैटेगरी	क्लास (ए)	क्लास (बी)	क्लास (सी)	क्लास (डी)	क्लास (ई)
			रु0	रु0	रु0	रु0
1	ब्रिजेस और रोड्स	असीमित	2.00 करोड़	75.00 लाख	40.00 लाख	5.00 लाख
2	बिल्डिंग सैनेट्री एवं वाटर सप्लाई	तदेव	2.00 करोड़	75.00 लाख	40.00 लाख	5.00 लाख
3	इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	तदेव	5.00 लाख	2.50 लाख	1.00 लाख	—
4	रोड साइनेज वर्क्स	तदेव	5.00 लाख	—	—	—

(2) विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिये निर्धारित हैसियत (साल्वेंसी) सीमा :

क्र0सं0	कैटेगरी	क्लास (ए)	क्लास (बी)	क्लास (सी)	क्लास (डी)	क्लास (ई)
		रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1	ब्रिजेस और रोड्स	50.00 लाख	40.00 लाख	20.00 लाख	5.00 लाख	–
2	बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	–
3	इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	40.00 लाख	2.00 लाख	1.00 लाख	–	–
4	रोड साइनेज वर्क्स	15.00 लाख	2.50 लाख	–	–	–
5	लेबर वर्क	–	–	–	–	10.00 हजार

(3) विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिये निर्धारित जमानती राशि की सीमा :

क्र0सं0	कैटेगरी	क्लास (ए)	क्लास (बी)	क्लास (सी)	क्लास (डी)	क्लास (ई)
		रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1	ब्रिजेस और रोड्स	5.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक	2.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक	1.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक	50.00 हजार मु0 अभि0 को बंधक	–
2	बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	–
3	इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	1.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक	50.00 हजार मु0 अभि0 को बंधक	5.00 हजार मु0 अभि0 को बंधक	–	–
4	मैकेनिकल वर्क्स	तदेव	तदेव	तदेव	2.50 हजार मु0 अभि0 को बंधक	–
5	रोड साइनेज वर्क्स	15.00 लाख	37.50 हजार मु0 अभि0 को बंधक	–	–	–
6	लेबर वर्क	–	–	–	–	2.5 हजार मु0 अभि0 को बंधक

(4) विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिये निर्धारित अनुभव की सीमा :

क्र0सं0	कैटेगरी	क्लास (ए)	क्लास (बी)	क्लास (सी)	क्लास (डी)	क्लास (ई)
1	ब्रिजेस और रोड्स	5 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष
2	बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
3	इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
4	मैकेनिकल वर्क्स	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
5	रोड साइनेज वर्क्स	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव
6	लेबर वर्क	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव

5—उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले प्राविधानों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

6—शासनादेश संख्या 3/2017/1067/78-2-2017-42 आई0टी0/2017 अनुभाग-2, दिनांक 12 मई, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत निविदा शुल्क (Tender Fee) के भुगतान तथा धरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो निविदा के साथ आंगणन धनराशि का 2% तथा निविदा स्वीकृति के पश्चात् 8% जमानत धनराशि जमा करना होगा। जमानत धनराशि अधिशासी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये नगर पंचायत के खाते में जमा होगी।

7—शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 लखनऊ, दिनांक 08 जून, 2012 के क्रम में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी एवं शासनादेश में यथा संशोधित नियमों के के अनुसार होगी।

8—प्रत्येक ठेकेदार जो नगर पंचायत, महरौनी में सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं आपूर्ति कराने के लिये पंजीकरण कराना चाहेगा वह अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित लिखित प्रार्थना-पत्र जिसमें उसकी विशेषता, पिछले कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र और आयकर, व्यापार कर, श्रम विभाग, ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा।

9—अधिशासी अधिकारी उम्मीदवार/ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों को सत्यापन कराने एवं चाल-चलन तथा पूर्ण अनुभव से संतुष्ट होने के उपरान्त अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात् ठेकेदार का नाम पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करायेंगे। यह पंजीकरण वित्तीय वर्ष तक ही मान्य होगा। पंजीकरण जारी रखने के लिये पुनः नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

10—कार्य आदेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि ठेकेदार जमानत जमा न करे और निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध लिख कर न दे, तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में निविदा के साथ जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

11—प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार धनराशि मु0 10,000.00 रुपये नवीनीकरण प्रति वर्ष के हिसाब से प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक जमा करने पर तथा ठेकेदार का पिछला चाल-चलन एवं शर्तों के ठीक तरह से पालन करने पर नवीनीकरण कर दिया जायेगा। इस फीस की अदायगी न होने पर 15 अप्रैल के बाद किसी भी दिन पंजीकृत ठेकेदार का नाम खारिज कर दिया जायेगा।

12—ठेकेदार का पंजीकरण आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त पंजीकरण शुल्क धनराशि मु0 10,000.00 रुपये जमा करना होगा।

13—पंजीकृत ठेकेदार अपनी जमानत वापस चाहने के लिये कम से कम एक माह पूर्व प्रार्थना-पत्र देना होगा। पंजीकरण तथा नवीनीकरण करने की फीस वापिस न की जायेगी।

14—त्रुटिवश ठेकेदार को अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे ठेकेदार से निकाय वापस पाने की हकदार होगी।

15—ठेकेदार का चाल चलन तथा कार्य की योग्यता या अन्य किसी भी आधार पर अध्यक्ष, नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर को किसी ठेकेदार का पंजीकरण खारिज करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष द्वारा निरस्त किये गये पंजीकरण की अपील 15 दिवस के अन्दर नियत प्राधिकारी के समक्ष की जायेगी।

16—ठेकेदार ठेके की शर्तों को पूरा न करने की दशा में ठेकेदार की जमानत को जब्त करने एवं जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर को होगा। इस प्रकार के आदेशों की अपील 15 दिवस के अन्दर बोर्ड को की जा सकती है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

17—निविदा फार्म का मूल्य एक लाख रुपये तक के कार्य के लिये रु0 100.00 तथा एक लाख से अधिक कार्य के लिये प्रति रु0 एक लाख के लिये रु0 100.00 अतिरिक्त होगा।

18—निविदा के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या तक0सेल/07/निदे0/2019, दिनांक 28 जून, 2019 में वर्णित समस्त दिशा निर्देश सम्मिलित होंगे।

19—निविदा के सम्बन्ध में शासन/बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश/निर्णय भी प्रभावी होंगे।

कृष्णा देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020 ई0

सं0 5272/प्रशा0-एक-45–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 95 उपधारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् Subordinate (Computers & Drawing Staff) Service Regulations 1977 की सेवाविनियमावली भाग-4 के बिन्दु संख्या 8 में परिषद् की 250वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 के मद संख्या 250/11 द्वारा निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, Subordinate (Computers & Drawing Staff) Service Regulations 1977 की सेवाविनियमावली भाग-4 के बिन्दु संख्या 8 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
Age–A candidate for direct recruitment to the service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 30 years on the 1st day of January next following the year in which the vacancies are notified under sub-regulation (1) of regulation 13:	**Age**–A candidate for direct recruitment to the service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years on the 1st day of July in which year the vacancies are notified under sub-regulation (1) of regulation 13:

3–अतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् Subordinate (Computers & Drawing Staff) Service Regulations 1977 के भाग-4 के बिन्दु संख्या 8 (यथासंशोधित) में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

अजय चौहान,
आवास आयुक्त।

NOTICE

In the service book of my late father Pratap Bahadur name of deponent has endorsed as Sudha, which is wrong. My correct name is Sudha Chaudhary. In future I will be known by this name Sudha Chaudhary D/o Late Pratap Bahadur R/o 320, Vijay Nagar, Haveliya Jhunshi, Allahabad (Prayagraj).

SUDHA CHAUDHARY,
D/o. Late Pratap Bahadur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देवी फिलिंग स्टेशन स्थित चोपन रानी ताली रोड, बरघानाला चोपन, जनपद सोनभद्र जो एक साझेदारी फर्म था, जिसके पार्टनर तेजबहादुर सिंह यादव पुत्र स्व0 रामजनम सिंह यादव व संदीप गुप्ता पुत्र श्री देवी दयाल गुप्ता, निवासीगण 14/30 आर्य समाज मंदिर से0 8 ओबरा, सोनभद्र इण्डियन आयल कार्पोरेशन से डिलरशिप लेकर व्यवसाय कर रहे थे, दिनांक 21 अगस्त, 2020 को साझेदारी समाप्त कर दिया गया है। दोनों साझेदारों के आपसी सहमति से यह साझेदारी फर्म समाप्त किया जाता है। देवी फिलिंग स्टेशन साझेदारी फर्म बंद किया जाता है।

तेजबहादुर सिंह यादव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स न्यू इण्डिया ओवरसीज, स्थित विलेज घुर समसपुर, धौराटाण्डा, तहसील बरेली, डिस्ट्रिक बरेली उ0प्र0, पिनकोड-243202 (पंजीकरण संख्या बीएआर/0005736) फर्म में कुल 7 साझेदार सलीम अहमद, सगीर अहमद, शकील अहमद, लईक अहमद पुत्र शब्बीर अहमद, अजीज अहमद, लईक अहमद पुत्र अब्दुल रऊफ व अब्दुल वकील थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 11 अगस्त, 2020 को फर्म में एक नया साझेदार श्रीमती फरजाना शामिल किया गया है तथा फर्म के एक साझेदार शकील अहमद

फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 11 अगस्त, 2020 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं, अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 7 साझेदार सलीम अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद पुत्र शब्बीर अहमद, अजीज अहमद, लईक अहमद पुत्र अब्दुल रऊफ, अब्दुल वकील व श्रीमती फरजाना हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

सलीम अहमद,
साझेदार,
मेसर्स न्यू इण्डिया ओवरसीज,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स उस्मान राईस इण्डस्ट्रीज, स्थित विलेज घुर समसपुर, धौराटाण्डा, तहसील बरेली, डिस्ट्रिक बरेली, उ0प्र0, पिनकोड-243202 (पंजीकरण संख्या-बीएआर/0005671), फर्म में कुल 6 साझेदार–मो0 उवैस, वफाउररहमान, मो0 मुजीब, तफजील अहमद, अफसीर अहमद, मो0 वसीम थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 01 जुलाई, 2020 को फर्म में एक नयी साझेदार–श्रीमती अदीबा नाज शामिल की गयी हैं तथा फर्म के एक साझेदार मो0 उवैस फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 जुलाई, 2020 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं, अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 6 साझेदार–वफाउररहमान, मो0 मुजीब, तफजील अहमद, अफसीर अहमद, मो0 वसीम व अदीबा नाज हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

वफाउररहमान,
साझेदार,
मेसर्स उस्मान राईस इण्डस्ट्रीज,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "राधिका इण्डेन गैस एजेन्सी" मो0 मस्जिद काजी शाहबाद, जिला-रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 08 अप्रैल, 2020 को पार्टनर राजीव कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल गुप्ता, निवासी मो0 सादात शाहबाद, जिला-रामपुर की मृत्यु हो गयी है तथा दिनांक 27 अगस्त, 2020 को संध्या गुप्ता पत्नी स्व0 राजीव कुमार गुप्ता, निवासी 57 मोहल्ला सादात शाहबाद, जिला-रामपुर शामिल हो गये हैं, तथा उक्त फर्म पर मृतक पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर प्रवल गुप्ता एवं संध्या गुप्ता रह गये हैं।

प्रवल गुप्ता,
पार्टनर,
"राधिका इण्डेन गैस एजेन्सी",
मो0 मस्जिद काजी शाहबाद,
जिला-रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है सर्वश्री केसरवानी शीतालय सहसों, इलाहाबाद (पंजीकृत) फर्म के एक भागीदार श्री प्रभू नाथ का निधन दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को हो गया है एवं श्री आदित्य केसरवानी को फर्म में नये भागीदार के रूप में दिनांक 01 जनवरी, 2020 से सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में फर्म में निम्नलिखित भागीदार सम्मिलित हैं, कैलाश चन्द्र केसरवानी, रमेश कुमार, हरीश चन्द्र केसरवानी, राजेश कुमार, सतीश चन्द्र केसरवानी, कृष्ण चन्द्र केसरवानी, सुरेश चन्द्र केसरवानी, अनूप चन्द्र केसरवानी, प्रवीन केसरवानी, नितिन कुमार केसरवानी, रितेश कुमार केसरवानी, नवीन केसरवानी, सचिन केसरवानी, शिशिर केसरवानी, शशांक केसरवानी, अंकित केसरवानी, अभिषेक केसरवानी, अंकुर केसरवानी, ओम केसरवानी एवं आदित्य केसरवानी।

वास्ते केसरवानी शीतालय,
ह0 सुरेश चन्द्र केसरवानी
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है सर्वश्री केसरवानी एण्ड कम्पनी, सहसों, इलाहाबाद (पंजीकृत) फर्म के एक

भागीदार श्री प्रभू नाथ का निधन दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को हो गया है एवं श्रीमती सोनम केसरवानी एवं प्रिया केसरवानी को फर्म में नये भागीदार के रूप में दिनांक 01 जनवरी, 2020 से सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में फर्म में निम्नलिखित भागीदार सम्मिलित हैं, हरीश चन्द्र केसरवानी, कलावती देवी, सुरेश चन्द्र केसरवानी, रेखा केसरवानी, शकुन देवी, रितेश कुमार केसरवानी, मौसम केसरवानी, नीलम केसरवानी, अर्चना केसरवानी, अंजू केसरवानी, शान्ती देवी, आरांक्षा केसरवानी, ओम केसरवानी, सारिका केसरवानी, दीक्षा केसरवानी, डिकास्टा केसरवानी, राजेश केसरवानी, आंचल केसरवानी, सोनम केसरवानी एवं प्रिया केसरवानी।

वास्ते केसरवानी एण्ड कम्पनी,
ह0 सुरेश चन्द्र केसरवानी
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है सर्वश्री केसरवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सहसों, इलाहाबाद (पंजीकृत) फर्म के एक भागीदार श्री प्रभू नाथ का निधन दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को हो गया है। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से फर्म की नई डीड के मुताबिक वर्तमान समय में फर्म में निम्नलिखित भागीदार सम्मिलित हैं, राजेश कुमार, सकुन देवी, शान्ती देवी एवं अंजू केसरवानी।

वास्ते केसरवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स,
ह0 राजेश कुमार,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र प्रनिल उपाध्याय PRANIEL UPADHYAY जिसकी जन्म तिथि 21 फरवरी, 2006 है, वह पतंजलि ऋषिकुल, प्रयागराज की कक्षा 9 का छात्र है, जिसका आधार नं0 676911394367 है, अपने पुत्र प्रनिल उपाध्याय का नाम बदलकर रेयांश उपाध्याय REYAANSH UPADHYAY कर दिया है। आज की तिथि से प्रनिल उपाध्याय को रेयांश उपाध्याय के नाम से जाना समझा व पहचाना जायेगा।

रितेश उपाध्याय,
पुत्र जे0एल0 उपाध्याय,
नि0 141/2बी, ओम गायत्री नगर,
चांदपुर सलोरी,
तेलियरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रामसेवक हरगोविन्द सहाय, हरदोई के पार्टनर श्री हरगोविन्द सहाय गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 15 अगस्त, 2020 को शाम को हो गया है तथा दिनांक 17 अगस्त, 2020 से मेरी उक्त फर्म की नई डीड में पार्टनर अनुराग गुप्ता, अतुल गुप्ता, आदित्य गुप्ता, श्रीमती लीना गुप्ता, श्रीमती पूनम गुप्ता, श्रीमती दीपशिखा गुप्ता हैं। इसमें और कोई नया पार्टनर नहीं है।

अतुल गुप्ता।

सूचना

मैं, अतुल कपूर पुत्र स्व0 दिनेश नारायण कपूर, निवासी घंटाघर रोड, हरदोई, जिला-हरदोई सशपथ बयान करता हूं कि फर्म मो0 ताहिर, मो0 आबिद सिनेम रोड, हरदोई के साझेदार श्रीमती रजिया बेगम पत्नी स्व0 मो0 आबिद महात्मागांधी मार्ग, हरदोई, मो0 अली शम्सी पुत्र स्व0 मो0 आबिद महात्मा गांधी मार्ग हरदोई दिनांक 31 जुलाई 2020 से फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं। उनके स्थान पर श्रीमती कुसुम लता गुप्ता पत्नी श्री प्रेम कुमार गुप्ता, निवासी नवाबगंज सांडी, हरदोई 01 अगस्त, 2020 से उक्त फर्म में नई साझेदार हो गयी हैं। इस समय फर्म में मैं और कुसुम लता गुप्ता दो साझेदार हैं।

अतुल कपूर।

सूचना

सर्वविदित हो कि फर्म सत्य श्री सांई राईस मिल, हरदोई मार्ग निकट आत्म बोधायन आश्रम, सांडी में भागीदार श्रीमती मनोरमा रस्तोगी पत्नी स्व0 कृपा शंकर रस्तोगी का निधन 23 सितम्बर, 2017 को हो गया था। अब उक्त फर्म में उनके पुत्रगण चन्द्रशेखर रस्तोगी, चन्द्रभूषण रस्तोगी एवं चन्द्रविशाल रस्तोगी पुत्रगण स्व0 कृपा शंकर रस्तोगी, निवासी मो0 नवाबगंज कस्बा व थाना सांडी, तहसील-बिलग्राम, जिला-हरदोई हैं। उक्त फर्म में उपरोक्त पुत्रगणों के अतिरिक्त अब कोई साझेदार नहीं है।

चन्द्रशेखर रस्तोगी।

सूचना

मैं, दुर्गा प्रसाद पुत्र स्व0 शिवरोत्तम यादव, निवासी-4, बदलापुर, अहिराना, इलाहाबाद, मैं पालिसी 311211938 लिया था। मैं अपना नाम दुर्गा प्रसाद के स्थान पर मनोज यादव रख लिया है। मेरे सारे दस्तावेज में मनोज यादव है।

मनोज यादव,
पुत्र स्व0 शिवरोत्तम यादव,
निवासी-4, बदलापुर, अहिराना,
इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 एस0 सिंह फ्यूल सेन्टर, ग्राम व पोस्ट बघौड़ा, मिर्जापुर, जिसका पंजीयन संख्या 6662/7बी-15981, दिनांक 23 मार्च, 2017 फर्म निबंधन कार्यालय वाराणसी से पंजीकृत है। जिसके साझेदार श्रीमती सरीश सिंह पत्नी श्री विद्याशंकर सिंह व श्रीमती सविता सिंह पत्नी श्री राज बहादुर सिंह थे उपरोक्त फर्म विघटन (01 जनवरी, 2020 से बंद) कर दिया गया है। अब फर्म के साथ किसी भी प्रकार के कार्यों एवं लेन-देन की जिम्मेदारी फर्म या किसी साझेदार की नहीं होगी।

श्रीमती सरीश सिंह।

पी0एस0यू0पी0—25 हिन्दी गजट—भाग 8-2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।